

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1850,1852 व 1855 / 2014.....जिला-जयपुर

उनथान-मै. कायाकलय हर्बल्स जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचन, जोन-तृतीय, जयपुर व अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए																				
17.11.2014	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री सुनील शर्मा, सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी के ओर से श्री एस.के. जैन, अभिभाषक व एवं विभाग की ओर से उप-राजकीय अधिकता श्री राम करण सिंह उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ये तीन अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी- द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक-पृथक स्थगन आदेश दिनांक 15.10.2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये हैं, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। उक्त आदेशों में अपीलीय अधिकारी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचन, सभाग-तृतीय, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा गया है) द्वारा पारित पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.08.2014, जो अधिनियम की धारा 25, 26, 61 एवं 55 के तहत निर्धारण वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के लिये पारित किये गये हैं, में कायम मांग राशि के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत रोक आवदेन पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान निम्न तालिका में अंकित राशियों पर रोक लगाये जाने की प्रार्थना की गई :-</p>																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>अ. सं.</th> <th>अपीलीय समक्ष आवेदित राशि</th> <th>अधिकारी के हेतु स्थगन राशि</th> <th>अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगित की गई राशि</th> <th>स्थगन आवेदित राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1850 / 14</td> <td style="text-align: center;">61,101 / -</td> <td></td> <td style="text-align: center;">37,486 / -</td> <td style="text-align: center;">23,615 / -</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1852 / 14</td> <td style="text-align: center;">59,336 / -</td> <td></td> <td style="text-align: center;">37,794 / -</td> <td style="text-align: center;">21,5424 / -</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1855 / 14</td> <td style="text-align: center;">1,18,784 / -</td> <td></td> <td style="text-align: center;">90,176 / -</td> <td style="text-align: center;">28,608 / -</td> </tr> </tbody> </table>	अ. सं.	अपीलीय समक्ष आवेदित राशि	अधिकारी के हेतु स्थगन राशि	अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगित की गई राशि	स्थगन आवेदित राशि	1850 / 14	61,101 / -		37,486 / -	23,615 / -	1852 / 14	59,336 / -		37,794 / -	21,5424 / -	1855 / 14	1,18,784 / -		90,176 / -	28,608 / -	
अ. सं.	अपीलीय समक्ष आवेदित राशि	अधिकारी के हेतु स्थगन राशि	अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगित की गई राशि	स्थगन आवेदित राशि																		
1850 / 14	61,101 / -		37,486 / -	23,615 / -																		
1852 / 14	59,336 / -		37,794 / -	21,5424 / -																		
1855 / 14	1,18,784 / -		90,176 / -	28,608 / -																		
	<p>उभय पक्षीय की बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत किये प्रार्थना पत्र में स्थगन हेतु आवेदित राशियों को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में</p>																					

किसी प्रकार का कोई कारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.10.2014 में अंकित नहीं किया गया है। लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना स्थगन हेतु आवेदित राशि की वसूली पर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थगन हेतु आवेदित राशियों की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्पत्ता की समझा जावेगा साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्कारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया।

(सुरील शर्मा)
सदस्य